बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं जन–जाति कल्याण विभाग।
पत्रांक–1/आ0वि0(विविध)–26–01/13–1967

प्रेषक,
एस0 एम0 राजू,
सरकार के सचिव।

सेवा में,
सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक–23अगस्त, 2013

विषयः–अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन करने हेतु संबंधित विभाग के अभियंत्रण संगठन (इजीनियरिंग विंग) से योजना का क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं निगरानी करने हेतु सेवा लेने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इस विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जो निम्न है :–

1– बिहार महादलित विकास मिशन के तहत् सामुदायिक भवन–सह–वर्क शेड तथा विशेष केन्द्रीय सहायता योजना (SCA to SCSP, SCA to TSP) के अन्तर्गत सभी छात्रावास तथा आवासीय विद्यालय की मरम्मति, रंगाई–पोताई एवं सिविल वर्क का कार्य किया जाता है। इसी तरह इन योजनाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सिंचाई हेतु नलकूप सिंचाई योजना, रोड, नाला, गली, वाटर सेड इत्यादि का कार्य संचालित किया जा रहा है। इन योजनाओं को ससमय कार्यान्वित करने के लिए इस विभाग में अभियंत्रण संगठन उपलब्ध नहीं है जिसके कारण कार्य अवरूद्ध हो रहा था और इस समस्या के समाधान करने हेतु मुख्य सचिव के स्तर पर दिनांक 09.07.2013 को बैठक आयोजित कर इस समस्या का समाधान करने हेतु चार विभागों के साथ क्रमशः ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, उर्जा विभाग, लघु जल संसाधन विभाग के अभियंत्रण संगठनों के साथ Convergence करने हेतु निर्णय लिया गया है। बैठक की कार्यवाही सुलभ प्रसंग हेतु संलग्न किया जा रहा है।

2– तद्नुसार उपरोक्त सभी योजनाओं को इस विभाग के जिला कल्याण पदाधिकारी, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी द्वारा योजना को सुचारू रूप से चलाने हेतु संबंधित विभाग के अभियंत्रण संगठन से समन्वय कर योजना का कार्यान्वयन, अनुश्रवण तथा निगरानी करने हेतु निम्नांकित दिशा निदेश दिया जाता है :–

(i) **<u>ग्रामीण विकास विभाग के अभियंत्रण संगठन के माध्यम से निम्नांकित योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाएगा</u>**– सामुदायिक भवन–सह–वर्क शेड निर्माण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों का समुचित जीर्णोद्धार एवं अपग्रेडेशन एवं अन्य ग्रामीण क्षेत्र का सड़क, जल संरक्षण आदि का सभी ग्रामीण कार्य का तकनीकी अनुश्रवण यथा– तकनीकी स्वीकृति एवं मॉपी का कार्य।

(ii) **<u>लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अभियंत्रण संगठन के माध्यम से निम्नांकित योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाएगा</u>**– छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों में पीने का पानी के लिए डीप ट्यूववेल की योजनाओं का तकनीकी अनुश्रवण यथा– तकनीकी स्वीकृति एवं मॉपी आदि का कार्य।

(ii) **<u>लघु जल संसाधन विभाग के अभियंत्रण संगठन के माध्यम से निम्नांकित योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाएगा</u>**– नक्सली क्षेत्रों एवं अन्य क्षेत्रों में सामुदायिक सिंचाई योजना आदि का तकनीकी अनुश्रवण यथा– तकनीकी स्वीकृति एवं मॉपी आदि का कार्य।

(ii) **<u>उर्जा विभाग के अभियंत्रण संगठन के माध्यम से निम्नांकित योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाएगा</u>**– होस्टल एवं आवासीय विद्यालयों में वायरिंग का रिपेयरिंग आदि के कार्य का तकनीकी अनुश्रवण यथा–तकनीकी स्वीकृति एवं मॉपी का कार्य।

अनु0 :–यथोक्त।

विश्वास भाजन,

ह0/–
(एस0 एम0 राजू)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–1960/पटना, दिनांक 23 अगस्त, 2013

प्रतिलिपि, सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी उप निदेशक, कल्याण/मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को दिनांक– 09.07.2013 को मुख्य सचिव के स्तर पर आयोजित बैठक की कार्यवाही के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।
23.8.13